

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जुलाई 2014—आषाढ़ 18, शक 1936

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2014

क्र. एफ-1-11-2011-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 12 में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(4) चयन सूची, साधारणतया एक वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी किन्तु आयोग/बोर्ड के परामर्श से उसकी वैधता को छह मास तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा.”

(2) नियम 15 (क) में, उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(9) निःशक्त व्यक्तियों को उस निमित्त प्रवृत्त नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा.”

(3) विद्यमान अनुसूची दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“ अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर [नियम 6(1)(ग) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग	1. परिवहन निरीक्षक	70	-	100 प्रतिशत	
	2. परिवहन उप निरीक्षक	102	65 प्रतिशत	(1) कुल पदों का 15 प्रतिशत (गैर तकनीकी). (2) लिपिकवर्गीय कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 20 प्रतिशत (गैर तकनीकी).	
	3. मोटरयान परिवहन निरीक्षक	15	-	100 प्रतिशत	
	4. मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक	35	100 प्रतिशत	-	
	5. सहायक परिवहन उप निरीक्षक	34	-	100 प्रतिशत	
	6. प्रधान आरक्षक	120	-	(1) कुल पदों का 90 प्रतिशत आरक्षकों की पदोन्नति से. (2) कुल पदों का 10 प्रतिशत वाहन चालकों की पदोन्नति से उनका पदनाम प्रधान आरक्षक (वाहन चालक) होगा.	
	7. आरक्षक	342	100 प्रतिशत	-	
	8. वाहन चालक	38	100 प्रतिशत	-	
	9. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी.	8	-	-	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	10. कनिष्ठ लेखाधिकारी	8	-	-	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	11. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5	-	-	प्रतिनियुक्ति द्वारा

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा शारीरिक मापदण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिवहन विभाग	1. परिवहन उप निरीक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	<p>(एक) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष.</p> <p>(दो) मोटर साईकिल/मोटर कार/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है.</p> <p>(तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है.</p> <p>(चार) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए.</p> <p>(पांच) सामान्य प्रवर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाये) और 86 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए.</p> <p>(छह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाये) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए.</p> <p>(सात) महिलाओं के लिए ऊंचाई 1.58 मीटर होना चाहिए, सीने का माप महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा.</p> <p>(आठ) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होना चाहिए. उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए.</p>
	2. मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	<p>(एक) ऑटोमोबाईल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/उपाधि</p> <p>(दो) मोटर साईकिल/मोटर कार/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है.</p> <p>(तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है.</p> <p>(चार) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए.</p> <p>(पांच) सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाये) और 86 से.मी. (फुलाकर).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(छह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाये) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए.</p> <p>(सात) महिला अभ्यर्थी लिए ऊंचाई 1.58 मीटर होना चाहिए. सीने का माप महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा.</p> <p>(आठ) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होना चाहिए. उसमें विभिन्न रंगों की पहचानने की क्षमता होनी चाहिए.</p>
3. परिवहन आरक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष		<p>(एक) मान्यताप्राप्त मण्डल (बोर्ड) से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र 10+2 परीक्षा के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>(दो) मोटर साईकिल/मोटर कार/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है.</p> <p>(तीन) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए.</p> <p>(चार) सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाये) और 86 से.मी. (फुलाकर).</p> <p>(पांच) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाये) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए.</p> <p>(छह) महिलाओं के लिए ऊंचाई 1.58 मीटर होना चाहिए. सीने का माप महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा.</p> <p>(सात) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होना चाहिए. उसमें विभिन्न रंगों की पहचानने की क्षमता होनी चाहिए.</p>
4. वाहन चालक	21 वर्ष	40 वर्ष		<p>(एक) मान्यताप्राप्त मण्डल (बोर्ड) से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र 10+2 परीक्षा के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>(दो) मोटर साईकिल/मोटर कार/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है.</p> <p>(तीन) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए.</p> <p>(चार) सामान्य प्रवर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाये) और 86 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए.</p> <p>(पांच) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाये) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए.</p>

(1) (2) (3) (4) (5)

- (छह) महिलाओं के लिए ऊंचाई 1.58 मीटर होना चाहिए. सीने का माप महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा.
- (सात) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होना चाहिए. उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए.

अनुसूची-चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये कालम (2) में दर्शाए पदों के लिए न्यूनतम अनुभव/अर्हता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
परिवहन विभाग	1. परिवहन निरीक्षक	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.	5 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग 3. परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
	2. परिवहन उप निरीक्षक.	परिवहन निरीक्षक	5 वर्ष	1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग 2. परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष 3. अपर सचिव/उप सचिव परिवहन विभाग 4. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) 5. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य/सचिव सदस्य सदस्य
	3. मोटरयान परिवहन निरीक्षक	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.	5 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग 3. परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
	4. मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक.	मोटरयान परिवहन निरीक्षक.	5 वर्ष	1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग 2. परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष 3. अपर सचिव/उप सचिव परिवहन विभाग 4. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) 5. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य/सचिव सदस्य सदस्य
	5. सहायक परिवहन उप निरीक्षक	परिवहन उप निरीक्षक.	5 वर्ष	1. परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष 2. अपर सचिव/उप सचिव परिवहन विभाग 3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) 4. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य/सचिव सदस्य सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. परिवहन प्रधान आरक्षक.	सहायक परिवहन उप निरीक्षक.	5 वर्ष	1. परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष 2. अपर सचिव/उप सचिव परिवहन विभाग 3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) 4. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य/सचिव सदस्य सदस्य
7. परिवहन आरक्षक/वाहन चालक.	परिवहन प्रधान आरक्षक/प्रधान आरक्षक (चालक).	5 वर्ष	1. परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष 2. अपर सचिव/उप सचिव परिवहन विभाग 3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) 4. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य/सचिव सदस्य सदस्य

(4) अनुसूची पांच में, खण्ड (तीन) में पूर्णविराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इन नियमों के प्रकाशन होने के पश्चात्, समस्त प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए सीमित परीक्षा के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलीकरण केवल एक बार अनुज्ञात किया जाएगा.

No. F 1-11-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Transport Department Sub-ordinate (Class-III Executive) Service Recruitment Rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 12, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) The select list shall ordinarily be in force for one year but its validity may be extended upto Six Months in consultation with the Commission/Board.”.

(2) In rule 15-A, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(9) Disabled person will be given reservation as per rules in force in that behalf.”.

(3) For the existing Schedule II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-II

(see rule 6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of Post included in the service	Number of Posts	Percentage of Number of post to be filled		By Temporary Transfer of Persons from other Services or Deputation
			By Direct Recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Transport Department

Transport Department.	1. Transport Inspector.	70	-	100 Percent	
-----------------------	-------------------------	----	---	-------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Transport Sub-Inspector.	102	65 Percent	(1) 15 Percent of total posts (Non-Technical) (2) 20 Percent from ministerial staff through limited competitive examination (Non-Technical)	
	3. Motor Vehicle Transport Inspector.	15	--	100 Percent	
	4. Motor Vehicle Transport Sub-Inspector.	35	100 Percent	--	
	5. Assistant Transport Sub-Inspector.	34	-	100 Percent	
	6. Head Constable	120	-	(1) 90 percent of total posts by promotion of constable. (2) 10 percent of total posts by promotion of Drivers. Their designation shall be Head Constable (driver)	
	7. Constable	342	100 Percent	--	
	8. Driver	38	100 Percent	--	
	9. Assistant Internal Audit Officer.	8	-	-	By Deputation
	10. Junior Account Officer.	8	-	-	By Deputation
	11. Assistant Statistical Officer.	5	-	-	By Deputation

SCHEDULE—III

(See rule 8)

Age and qualifications of Persons to be Recruited Directly

Name of Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Prescribed Educational qualifications and Physical Criteria (5)
Transport Department	1. Transport Sub-Inspector.	21 years	40 years	(i) Graduate from any recognized University or equivalent.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> (ii) Driving Licence to drive Motor-cycle/Motor Car/Heavy goods vehicle/Heavy Passenger vehicle is essential. (iii) One year diploma in computer from any recognized Institute of Central Government of State Government is compulsory. (iv) The candidate must possess a good Physical and Mental fitness. (v) The candidate of general category and other Backward Classes must possess 1.68 metre height and 81 cm. chest unexpanded and 86 cm. expanded. (vi) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded). (vii) Women candidates must possess 1.58 metre height above. Chest measurement shall not be applicable to women. (viii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colour.
2.	Motor vehicle Transport Sub-Inspector.	21 years	40 years	<ul style="list-style-type: none"> (i) Diploma / Degree in Automobile / Mechanical Engineering. (ii) Driving Licence to drive Motor-cycle/Motor Car/Heavy goods vehicle/Heavy Passenger vehicle is essential. (iii) One year diploma in computer from any recognized Institute of Central Government of State Government is compulsory. (iv) The candidate must possess a good Physical and Mental fitness. (v) The candidate of general category and other Backward Classes must possess 1.68 metre height and 81 cm. chest unexpanded and 86 cm. expanded. (vi) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded). (vii) Women candidates must possess 1.58 metre height above. Chest measurement shall not be applicable to women. (viii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colour.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Transport Constable.	21 years	40 years		<ul style="list-style-type: none"> (i) Passed 12th class from a recognized Board under Higher Secondary School Certificate in 10+2 Pattern. (ii) Driving Licence to drive Motor-cycle/Motor Car/Heavy goods vehicle/Heavy Passenger vehicle is essential. (iii) The candidate must possess a good Physical and Mental fitness. (iv) The candidate of general category and other Backward Classes must possess 1.68 metre height and 81 cm. chest unexpanded and 86 cm. expanded. (v) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded). (vi) Women candidates must possess 1.58 metre height above. Chest measurement shall not be applicable to women. (vii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colour.
4. Driver	21 years	40 years		<ul style="list-style-type: none"> (i) Passed 12th class from a recognized Board under Higher Secondary School Certificate in 10+2 Examination system. (ii) Driving Licence to drive Motor-cycle/Motor Car/Heavy goods vehicle/Heavy Passenger vehicle is essential. (iii) The candidate must possess a good Physical and Mental fitness. (iv) The candidate of general category and other Backward Classes must possess 1.68 metre height and 81 cm. chest unexpanded and 86 cm. expanded. (v) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded). (vi) Women candidates must possess 1.58 metre height above. Chest measurement shall not be applicable to women. (vii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colour.

SCHEDULE—IV
(See rule 14 and 15)

Name of the Department	Name of Post from which Promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Minimum Experience/ qualification for promotion as shown in column 2	Name of Members of the Departmental Promotion Committee	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Transport Department.	1. Transport Inspector.	Assistant Regional Transport Officer.	5 years	1. Chairman of Public Service Commission or member to be nominated by him.	Chairman
				2. Principal Secretary/Secretary Transport Department.	Member
				3. Transport Commissioner/Head of the Department.	Member
				4. One nominated member belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Member
	2. Transport Sub-Inspector.	Transport Inspector.	5 years	1. Principal Secretary/Secretary Transport Department.	Chairman
				2. Transport Commissioner/Head of the Department.	Member
				3. Additional Secretary/Deputy Secretary Transport Department.	Member
				4. Additional Transport Commissioner (Enforcement)	Member/ Secretary.
				5. Joint Transport Commissioner (Administration).	Member
				6. One nominated member belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Member
	3. Motor Vehicle Transport Inspector.	Assistant Regional Transport Officer.	5 years	1. Chairman of Public Service Commission or member to be nominated by him.	Chairman
				2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Transport Department.	Member
				3. Transport Commissioner/Head of the Department.	Member
				4. One nominated member belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Member
	4. Motor Vehicle Transport Sub-Inspector.	Motor Vehicle Transport Inspector.	5 years	1. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Transport Department.	Chairman
				2. Transport Commissioner/Head of the Department.	Member
3. Additional Secretary/Deputy Secretary Transport Department.				Member	
4. Additional Transport Commissioner (Enforcement)				Member/ Secretary.	
5. Joint Transport Commissioner (Administration).				Member	
6. One nominated member belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.				Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5.	Assistant Transport Sub-Inspector.	Transport Sub-Inspector.	5 years	1. Transport Commissioner/Head of the Department. 2. Additional Secretary/Deputy Secretary Transport Department. 3. Additional Transport Commissioner (Enforcement) 4. Joint Transport Commissioner (Administration). 5. One nominated member belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Chairman Member Member/ Secretary. Member Member
6.	Transport Head Constable.	Assistant Transport Sub-Inspector.	5 years	1. Transport Commissioner/Head of the Department. 2. Additional Secretary/Deputy Secretary Transport Department. 3. Additional Transport Commissioner (Enforcement) 4. Joint Transport Commissioner (Administration). 5. One nominated member belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Chairman Member Member/ Secretary. Member Member
7.	Transport Constable/Driver.	Transport Head Constable/Constable (Driver).	5 years	1. Transport Commissioner/Head of the Department. 2. Additional Secretary/Deputy Secretary Transport Department. 3. Additional Transport Commissioner (Enforcement) 4. Joint Transport Commissioner (Administration). 5. One nominated member belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Chairman Member Member/ Secretary. Member Member

(4) In Schedule-V, in clause (iii), for the full stop the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, nemely:—

“Provided that after the publication of these rules relaxation of 5 years shall be allowed for limited examination held for the first time only in age limit for candidate of all categories.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव.